छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण कमांक–M-PRO-2018-00151

— समक्ष —
श्री विवेक ढाँड, अध्यक्ष
श्री नरेन्द्र कुमार असवाल, सदस्य
श्री राजीव कुमार टम्टा, सदस्य

श्री डी. आर साहू, पिता–श्री बी.एन साहू,
पता–हर्षित टॉवर, फ्लैट नं.–बी, भूतल ब्लॉक नं.–डी,
हीरापुर, रायपुर (छ.ग.) .... **आवेदक**

विरूद्ध

सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा. लि.,
द्वारा–डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया,
पिता–श्री श्याम लाल सिंघानिया,
पता–आमानाका, जी.ई. रोड,
रायपुर (छ.ग.) .... **अनावेदक**

(प्रोजेक्ट–हर्षित टॉवर, हीरापुर, रायपुर)
आदेश
(दिनाँक–09/01/2019)

आवेदक श्री डी. आर साहू, पिता–श्री बी.एन साहू, पता– हर्षित टॉवर, फ्लैट नं.–बी, भूतल ब्लॉक नं.–डी, हीरापुर, रायपुर (छ.ग.) (छ.ग.) द्वारा छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप–ङ (FORM-M) में अनावेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि उसके द्वारा अनावेदक के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ''हर्षित टॉवर'' के डी ब्लॉक में फ्लैट क्रमांक–बी दिनाँक 11.03.2008 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया गया था। आवेदक के अनुसार प्रश्नाधीन फ्लैट खसरा क्रमांक–639/20 पर स्थित है, जो अपरिवर्तित कृषि भूमि है। जिसके कारण वह प्रश्नाधीन फ्लैट का विक्रय किसी अन्य को नहीं कर पा रहा है। आवेदक ने संबंधित भूमि का आवासीय परियोजन हेतु व्यपवर्तन कराए जाने हेतु अनावेदक को आदेशित करने का अनुरोध किया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई–मेल के द्वारा भी नोटिस व दस्तावेज प्रेषित किए गए।

3. अनावेदक द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन कराए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। न्यायहित में अनावेदक को समुचित अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु दिनाँक 31.10.2018 को व्यपवर्तन किए जाने के संबंध में परिवर्तित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख की छायाप्रति प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई और इसकी प्रतियाँ आवेदक को भी उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित लेआउट व अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ भी आवेदक को उपलब्ध कराई गई। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा वांछित अनुतोष उसे प्राप्त हो जाने के कारण, प्रकरण में किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता शेष न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है।

(नरेन्द्र कुमार असवाल)
सदस्य
सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(राजीव कुमार टम्टा)
सदस्य
सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष
अध्यक्ष
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर